बीगोद 2018/00004

27/3/18

13/6/18

22/8/18

[illegible] 10/9/18

[illegible] - 16/10/18

~~31/1/2019~~

[illegible] 01/01/2019

28/01/19

[illegible] 12/3/19

20/5/19

Dis - 27/8/19

PORTAL

सरवरक

(कायदा—129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला
मुत० 91 नियम 4	01/18	10/1/2018	05/11/2019 स्वीकार

अनवान

श्री अब्दुल रहीम पिता इस्माईल श्री मगना माली

निवासी बीगोद निवासी

H.S, संजय [illegible]

अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट/ अधिवक्ता प्रति./विपक्षी रेस्पाण्डेण्ट

हिन्दीवार [illegible]

Scanned by CamScanner

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2019	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 153/2015 में वादी की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री दिलीप टेलर को नियुक्त किया गया था लेकिन अधिवक्ता वादी का चयन सरकारी नौकरी में अध्यापक के पद पर हो जाने से वे नियत पेशी पर उपस्थित नही हुए और न ही वादीगण को सूचित किया इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.12.2016 को उक्त वाद पत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त वाद की जानकारी हेतु दिनांक 27.11.2017 को उपस्थित होने पर उसे जानकारी हुई कि उसका वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही वादी द्वारा उक्त वाद पत्र पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी द्वारा पैरवी नही किये जाने की सूचना वादी को नही दी गयी थी जो कि वादी को दी जानी अत्यंत आवश्यक थी। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में वादी के स्तर पर कोई चूक नही हुई है इसलिए वादी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायपूर्ण नही होगा। अतः न्यायहित में वादी को अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है और मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। पत्रावली मूल वादी के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	

Scanned by CamScanner